न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
269 / 2022	17.11.2022	18.11..2022

//उनवान//

1 रामनिवास पुत्र गणपत पोत्र नेतराम जाति खाती निवासी जालावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

2 सुरेश पुत्र जगदीश पौत्र नेतराम जाति खाती निवासी जालावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादीगण

बनाम

2 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– **प्रतिवादी**

2 श्रीचन्द पुत्र रामजीलाल

3 गुरूदयाल पुत्र रामजीलाल पौत्र नेतराम जातियान खाती निवासी जालावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

तर0 प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा– 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थितिः– श्री अरुण पण्डित – वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक– **18.11.2022**

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 1021/0.20, 1022/0.20, 1023/0.20 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर में स्थित होकर साबिक खसरा नम्बर 902, 903, 904 से पैमूद हुये हैं। आराजी मिनवादीगण की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा अपने हिस्से की आराजी पर आज दिन काबिज काश्त है एवं अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसलिए उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। आराजी के राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2029 की जमाबंदी में मिनवादीगण की जाति खाती दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसके बाद की जमाबंदी पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून हम वादीगण की [illegible] दिया जो अंकन ताहाल चला आ रहा है जिसके दर्ज रहने से भारी नु[illegible] है तथा मिन वादीगण आराजी का समुचित तरीके से उप[illegible]गण के पहचान के समस्त दस्तावेजात [illegible]लत अंकन काबिले दुरूस्त है। आदि–आदि अंकित करते हुये [illegible]खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की जा[illegible]ीर को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर जाति खाती दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब पैरोकार वादीगण के वादपत्र को बिन्दूवार वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये रिपोर्ट

पटवारी व भू0अ0 निरीक्षक तथा श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा अभिशंषा की जा चुकी है अतः वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण व नेताराम के वारीसान की जाति अहीर के बजाय खाती मुताबिक मिशल हकियत के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है अंकित कर पेश किया जाकर शामिल पत्रावली है एवं तर0 प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक इकबाल जवाब वादी का वाद चाही गई रिलीफ के अनुसार डिक्री फरमाया दिया जावे अंकित कर पेश है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप तहसीलदार मुण्डावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2022, ग्राम पंचायत जालावास द्वारा दिनांक 31.08.2022 में जारी प्रमाण पत्र जिसके मुताबिक वादी व तर0 प्रतिवादीगण की जाति खाती है एवं जमीन के रिकॉर्ड में जाति अहीर को खाती में बदलने की कृपा करे बाबत का जारी है, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल इन्तकाल सं0 1241 वाके ग्राम जालावास, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, नकल सैटलमेंट सम्वत् 2029 जिसमें जाति खाती अंकित है नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 जिसमें जाति खाती अंकित है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2036 जिसमें जाति अहीर अंकित है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2051, नकल जमाबंदी सम्वत् 2055 पेश की जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र रामनिवास पुत्र गणपत पौत्र नेतराम जाति खाती पीडब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी होकर राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2029 एवं सम्वत् 2033 तक वादीगण की जाति खाती अंकित रही है उसके पश्चात् जाति खाती के बजाय जाति अहीर अंकित हो गया है जो ताहाल तक चला आ रहा है। इस बाबत वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप तहसीलदार मुण्डावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2022 पेश की है जिसके मुताबिक सम्वत् 2036 तक प्रार्थीयान की जाति खाती दर्ज है तथा वर्तमान में अहीर दर्ज है जो गलत है अहीर जाति की बजाय मुताबिक रिकॉर्ड जाति खाती नियम 136 के तहत शुद्ध किया जाना उचित है के बाबत की पेश होकर शामिल है, ग्राम पंचायत जालावास द्वारा दिनांक 31.08.2022 में जारी प्रमाण पत्र जिसके मुताबिक वादी व तर0 प्रतिवादीगण की जाति खाती है एवं जमीन के रिकॉर्ड में जाति अहीर को खाती में बदलने की कृपा करे बाबत का जारी है, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल इन्तकाल सं0 1241 वाके ग्राम जालावास, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, नकल सैटलमेंट सम्वत् 2029 जिसमें जाति खाती अंकित है नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 जिसमें जाति खाती अंकित है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2036 जिसमें जाति अहीर अंकित है, नकल जमाबंदी सम्वत् 2051, नकल जमाबंदी सम्वत् 2055 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र रामनिवास पुत्र गणपत पौत्र नेतराम जाति खाती पीडब्ल्यू–1 पेश किया है। इस प्रकार से वादीगण ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वा[illegible] के [illegible] को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल ख0नं0 [illegible] 1022/0.20, 1023/0.20 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर के बाबत वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की अंकित जाति अहीर को हजफ किये जाने [illegible] आदेश दिये जाते हैं एवं जाति अहीर के बजाय जाति खाती दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

यह निर्णय आज दिनांक **18.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

18-11-2022

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:36:55 IST
Reason: SelfAttested